न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 202 / 2022

अनवान : –

1. दिनेश उम्र 14 साल पुत्र परमानन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) नाबालिग जरिये बली माता शकुन्तला पत्नी परमानन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. खुशबु उम्र 17 साल पुत्री परमानन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) नाबालिग जरिये बली माता शकुन्तला पत्नी परमानन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. परमानन्द पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. भागसिंह पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. वेद प्रकाश पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 28/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा चक 15 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 84 / 82 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है। वाद भूमि गैरसायल के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 15 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 84 / 82 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा की [illegible] व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता रिकार्ड खातेदार है। उक्त भूमि उत्तरदाता की स्वयं की अर्जित भूमि है जिसमें सायलान का क़ोई हक हिस्सा नही है। उक्त भूमि पूर्व में उत्तरादाता की नानी सुन्दर पत्नी कुरड़ाराम के नाम दर्ज थी सुन्दर पत्नी कुरड़ाराम द्वारा उक्त भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:11:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वसीयत अपने दोहितो नत्थुराम आदि मे पक्ष में दिनांक 08.02.1990 को वसीयत की गई एवं मुताबिक वसीयत ही गैरसायल स0 1 के नाम उंक्त भूमि दर्ज हुई है इसलिए भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं की अर्जित भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है। वाद भूमि गैरसायल के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि उत्तरदाता की स्वयं की अर्जित भूमि है जिसमें सायलान का कोई हक हिस्सा नही है। उक्त भूमि पूर्व में उत्तरादाता की नानी सुन्दर पत्नी कुरड़ाराम के नाम दर्ज थी सुन्दर पत्नी कुरड़ाराम द्वारा उक्त भूमि की वसीयत अपने दोहितो नत्थुराम आदि मे पक्ष में दिनांक 08.02.1990 को वसीयत की गई एवं मुताबिक वसीयत ही गैरसायल स0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई है इसलिए भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं की अर्जित भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन क्रिया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक है जबकि अप्रार्थी स0 1 का कथन है कि उक्त भूमि स्वयं की अर्जित भूमि है जो की मुझे मेरी नानी से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है वाद भूमि वर्तमन राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है जो की सायलान का दादा है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी [illegible] जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। [illegible] में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता जब प्रथम दृष्टया मामला [illegible]र्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:11:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कंन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 15 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 84/82 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:11:40 IST
Reason: SelfAttested